

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2347
जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2023 को दिया जाना है।

.....

जल शक्ति अभियान-II

2347. श्री रमेश बिन्द:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मानसून के पूर्व और बाद के मौसम के लिए उत्तर प्रदेश में वर्षा जल संचयन हेतु जल शक्ति अभियान-II के अंतर्गत स्वीकृत और जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार के पास देश के जल की कमी वाले जिलों में वर्षा जल के संरक्षण हेतु कोई अन्य योजना है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क): जल शक्ति अभियान (जेएसए) अभियान वर्ष 2019 में देश के जल संकटग्रस्त 256 जिलों में शुरू किया गया था, जिसे बाद में वर्ष 2021 से "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" (जेएसए: सीटीआर) अभियान के रूप में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लागू किया गया है। श्रृंखला में चतुर्थ, जेएसए: सीटीआर 2023, को दिनांक 04.03.2023 से 30.11.2023 के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश भर के सभी जिलों के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए दिनांक 04.03.2023 को शुरू किया गया है। जेएसए: सीटीआर विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं का अभिसरण है। ग्रामीण विकास विभाग ने सूचित किया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 22,408 जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन कार्य पूरे हो चुके हैं और जेएसए: सीटीआर 2023 के 9,166 कार्य चल रहे हैं और दिनांक 31.07.2023 (अभियान अवधि दिनांक 04.03.2023 से 30.11.2023 तक) तक 537.19 करोड़ रुपये का कुल व्यय किया गया है।

(ख) और (ग): जल राज्य का विषय है और केन्द्र सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। तथापि, भारत सरकार जल की कमी वाले जिलों सहित देश में विभिन्न स्कीमों/अभियानों/नीतियों को कार्यान्वित करती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संरक्षण का कार्य भी शामिल है। केन्द्र सरकार की प्रमुख योजनाएं अटल भूजल योजना (अटल जल), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) आदि हैं। 150 जल संकटग्रस्त जिलों पर विशेष ध्यान देने के कार्यों के साथ-साथ अन्य पहलों में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) 2023 मिशन अमृत सरोवर, राष्ट्रीय जल नीति, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के दिशानिर्देश, पंचायती राज मंत्रालय के निर्देश, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के विनियमन आदि शामिल हैं।
